



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-30092026-276622
CG-UP-E-30092026-276622

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4965]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4965]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 16 सितम्बर, 2026

का.आ. 5171(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के कानपुर-टुंडला सेक्शन में किमी. 1032/9-11 पर एल0सी0 संख्या 83 के स्थान पर 02 लेन आर0ओ0बी0 का निर्माण” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपरजिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो

व्यक्तिगत रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कानपुर नगर में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, “उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के कानपुर-टुंडला सेक्शन में किमी. 1032/9-11 पर एल0सी0 संख्या 83 के स्थान पर 02 लेन आर0ओ0बी0 का निर्माण” का निर्माण करने के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का अवसंरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या अथवा खसरा संख्या	अर्जन हेतु रकबा (हे० में)	अर्जन हेतु रकबा(वर्ग मी०)
1	कानपुर सदर	भौतिखेड़ा	425 मि.	0.0026	26
			425 मि.		
2			422मि.	0.0624	624
3			420मि.	0.1862	1862
			420मि.		
			420मि.		
4			415	0.0421	421
5			416	0.0062	62
6			417	0.1271	1271
7			418	0.0102	102
8			413	0.1357	1357
9			334 मि.	0.2284	2284
			334		
			334 मि.		
			334		
10			335	0.0071	71
11			333	0.0172	172
12			339	0.3801	3801
			339		
13			297व	0.1436	1436
			297 मि.		
			297 मि.		
			297 मि.		

14			286 मि.	0.0009	9
			286 मि.		
			286 मि.		
15			296	0.0303	303
		कुल योग		1.3801	13801
1	कानपुर सदर	भौति प्रतापपुर	572	0.3380	3380
2			572/1		
कुल योग				0.3380	3380

[फा. सं. NCR-PRYJ0ENGG(LAND)/9/2023-O/o CPM/GSU/PRYJ (Computer No. 92860) Date:05.06.2024]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि.

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Gati Shakti Unit)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 16th September, 2026

S.O. 5171(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, **“Construction of 02 lane ROB in lieu of LC No. 83 at Km. 1032/09-11 in CNB-TDL Section of Prayagraj Division of North Central Railway”** in the District of Kanpur Nagar in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the **Competent Authority**, namely, **Additional District Magistrate (Land Acquisition) Kanpur Nagar, Uttar Pradesh** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely **“Construction of 02 lane ROB in lieu of LC No. 83 at Km. 1032/09-11 in CNB-TDL Section of Prayagraj Division of North Central Railway”** in the district of **Kanpur Nagar** in the state of Uttar Pradesh.

Sr.No.	Tehsil	Village	Gata/ Plot No.	Acquired area (in Hctq.)	Acquired area (in Sqm.)
1	Kanpur Sadar	Bhauti Kheda	425 मि.	0.0026	26
			425 मि.		
2			422मि.	0.0624	624
3			420मि.	0.1862	1862
			420मि.		
			420मि.		
4			415	0.0421	421

5			416	0.0062	62
6			417	0.1271	1271
7			418	0.0102	102
8			413	0.1357	1357
9			334 ऋ.	0.2284	2284
			334		
			334 ऋ.		
			334		
			334		
10			335	0.0071	71
11			333	0.0172	172
12			339	0.3801	3801
			339		
13			297व	0.1436	1436
			297 ऋ.		
	297 ऋ.				
	297 ऋ.				
14	286 ऋ.	0.0009	9		
	286 ऋ.				
	286 ऋ.				
15	296	0.0303	303		
		Total Area	1.3801	13801	
1	Kanpur Sadar	Bhauti Pratappur	572	0.3380	3380
2			572/1		
Total Area				0.3380	3380

[F. No. NCR-PRYJ0ENGG(LAND)/9/2023-O/o CPM/GSU/PRYJ (Computer No. 92860) Date:05.06.2024]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer/C.